भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 684

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

कोयला खनन का प्रभाव

684. श्रीमती लवली आनंदः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कोयला उत्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में क्या प्रगति हुई है;

(घ) वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी की नीति को कितनी सफलता मिली है; और

(ड.) बंद पड़ी खानों के पुनरूद्धार और भूमि सुधार के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वर्ष 2025-26 के लिए अखिल भारतीय कच्चे कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 1157 मिलियन टन (मि.ट.) है, जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का कोयला उत्पादन लक्ष्य 875 मि.ट. है, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के लिए 72 मि.ट. है, और कैप्टिव/वाणिज्यिक/अन्य के लिए 210 मि.ट. है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन (बीटी) का महत्वाकांक्षी घरेलू कोयला उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) : कोयला उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (कोयला-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) कोयला खनन के लिए सख्त पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं। किसी भी नई परियोजना को शुरू करने या कोयला खान परियोजना के विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है जिसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है और

इन्हें सभी खानों में कार्यान्वित किया जाता है। भूमि सुधार अनुमोदित खनन योजना और ईएमपी योजना के अनुसार किया जाता है। कोयला-सार्वजनिक उपक्रमों ने कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उपायों का एक व्यापक सेट अपनाया है जैसे कि (क) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खदान बंद करने के दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन; (ख) सतत और हरित खनन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना; (ग) वायु गुणवत्ता का कड़ा अनुपालन और निगरानी; (घ) खान जल का पुन उपयोग और संरक्षण उपाय; (ङ) भूमि सुधार और खान बंद करने संबंधी दिशा-निर्देश; (च) बडे पैमाने पर वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास; (छ) परिवेश पोर्टल के माध्यम से निगरानी और अनुपालन; (ज) सीपीसीबी, एसपीसीबी और पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के साथ सहयोग; (घ) पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाना; और (ञ) प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाना।

(ग) : अत्याधुनिक लाभकारी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए कोयले की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सभी नए चालू और नियोजित वाशरियों को हैवी मीडिया साइक्लोन, टीटर बेड सेपरेटर, स्पाइरल कंसंट्रेटर और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रौद्योगिकी सहित उन्नत प्रौद्योगिकीय समाधानों से लैस किया गया है। सभी नई वाशरियों को शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रचालन दक्षता बढ़ाने और कोयला धुलाई कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए मौजूदा पुरानी वाशरीज का आधुनिकीकरण और नवीकरण किया गया है।

जहां तक कोयला गैसीकरण का संबंध है, सरकार ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की सहायता करने के लिए 24 जनवरी 2024 को 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक व्यापक वित्तीय सहायता स्कीम को मंजूरी दी।इस पहल के तहत, सात परियोजनाओं का चयन किया गया है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि वे चालू होने के बाद प्रति वर्ष लगभग 11.755 मि.ट. कोयले का उपयोग करेंगे।

(घ) : नीलामी नीति के केवल 5 वर्षों में, कोयला मंत्रालय ने 276.04 मि.ट.पीए की पीक रेटेड क्षमता के साथ नीलामी के 12 दौर में 133 कोयला खानों की नीलामी की है। एक बार चालू हो जाने के बाद, इन 133 कोयला खानों से 41,407 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के साथ 38,710 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व सृजित होने और 3,73,199 लोगों को रोजगार मिलने की अपेक्षा है।

(ङ) : कोल इंडिया लिमिटेड परित्यक्त और बंद की गई कोयला खानों के लिए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के माध्यम से कतिपय विरासत और गैर-प्रचालनरत भूमिगत खानों के पुनरुद्धार का कार्यान्वयन कर रही है। राजस्व हिस्सेदारी मोड में, सीआईएल/इसकी सहायक कंपनी कोयले के

उत्खनन/निष्कर्षण और सीआईएल/इसकी सहायक कंपनी को सुपुर्दगी के लिए खान विकासकर्ता और प्रचालक (एमडीओ) के माध्यम से किसी भी उपयुक्त बंद की गई खान को फिर से खोलने, बचाने, पुनर्वास, विकसित करने और संचालित करने की पेशकश करती है और खनन किए गए कोयले से राजस्व का प्रतिशत हिस्सा बोली में उद्धृत उच्चतम दर के आधार पर सीआईएल/इसकी सहायक कंपनी के साथ साझा किया जाता है।

राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत, अब तक कुल 32 बंद/परित्यक्त खानों को चिन्हित किया गया है। 39.28 एमटीवाई क्षमता वाली 28 खानों के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं। 4 खानें पुन: निविदा के चरण में हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2 खानों अर्थात् बीसीसीएल की पीबी परियोजना और ईसीएल की गोपीनाथपुर परियोजना में कोयले का उत्पादन शुरू हो गया है।

****